

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

1193
2021

ग्राम - धौलाखेडा के खाता नं० 62 में प्रार्थी का सम्बन्धित ग्राम बिन्दोड
गलत दर्ज हो गया जिसके स्थान पर पूर्व में यमी झा रही जमावली
के आधार पर सम्बन्धित ग्राम धौलाखेडा सुद्ध किया जाना उचित

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :- 10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक,
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरांया की जाती है /नहीं
की जाती है।

उक्त किया जा
उचित है

10/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 10/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धौलाखेडा	2075त 2078	62	शुमा पु० बलदेवा सा० बिन्दोड	शुमा पु० बलदेवा सा० धौलाखेडा

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1012-13
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी